न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

रिव्यू प्रा.पत्र संख्या– 11/15 **सन् 2015**
आरसीएमएस संख्या 2015/00002

बउनवानी :–

1. कुन्दन लाल पुत्र स्व0 श्री नारायण नाई निवासी, पांचोलास तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. रामहेत पुत्र स्व0 श्री नारायण नाई निवासी ग्राम पांचोलास तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र स्व0 श्री नाराायण नाई निवासी ग्राम फलोदी तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. सरकार जरिये सहायक भूप्रबंधक अधिकारी सवाईमाधोपुर
3. मूलचन्द पुत्र स्व0 श्री नारायण नाई निवासी ग्राम पांचोलास तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
4. पुरूषोत्तम पुत्र स्व0 श्री नारायण नाई निवासी ग्राम पांचोलास तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
5. श्रीमति गुलाब देवी पत्नि श्री रामस्वरूप माली निवासी जटवाडा खुर्द तह0 सवाईमाधोपुर

(रिव्यू प्रार्थना पत्र बाबत रिव्यू किये जाने निर्णय दिनांक 14.3.2015 अपील संख्या 09/2013 बउनवानी मूलचन्द बनाम प्रहलाद वगै. न्यायालय जला कलेक्टर सवाई माधोपुर अन्तर्गत धारा 151 जा. दी.वास्ते)

उपस्थित : 1. श्री आशिष कुमार जैन — वकील प्रार्थीगण
2. श्री जगदीश शर्मा — वकील अप्रार्थी–3
3. श्री रविन्द्र सिंह राजावत — वकील अप्रार्थी–5

–: निर्णय :– **दिनांक 10.6.2019**

रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की अपील संख्या 09/2013 बउनवानी मूलचन्द बनाम प्रहलाद वगै. में पारित निर्णय दिनांक 14.3.2015 को इस कथन के साथ रिव्यू करवाने बाबत प्रस्तुत किया है कि उक्त अपील के निर्णय में प्रार्थीगण को सुनवायी का समुचित अवसर नही दिया एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 जो प्रकरण में अपीलान्ट संख्या 1 व 2 थे के अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद शर्मा की ओर से ही प्रकरण को नोट प्रेस कर खारिज करवा दिया गया है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण में प्रार्थीगण अपीलान्ट संख्या 3 व 4 थे जिनके अधिवक्ता श्रीदास सिंह राजावत थे। प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को नही चलाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया है एवं प्रार्थीगण अपने अधिकार से वंछित हो गये। अतः प्रार्थीगण को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करे।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुनवायी हेतु तलब किया गया एवं रिव्यू प्रार्थना पत्र से संबंधित इस न्यायालय की अपील संख्या 09/2013 की मूल मिसल तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित उक्त अपील नामा0 माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्व दिनांक 4.7.2013 को जरिये अधिवक्ता श्रीदास सिंह राजावत व भवंर सिंह राजावत पेश की है जिसमे बाद तामील अप्रार्थी प्रहलाद की तरफ से अधिवक्ता श्री हरिमोहन जाट उपस्थिति पत्र 4.12.2013 के जरिये पैरवीरत रहे है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से हरिमोहन जाट व श्री रघुवीर गोड अधिवक्ता के जरिये 8.1.2014 को वकालातनामा पेश कर पैरवीरत रहे है और अपीलान्ट अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा नये अधिवक्ता दिनांक 8.1.2014 से पैरवीरत रहे है। प्रार्थीगण ने प्रकरण मे अपना अधिवक्ता कभी नही बदला है और श्रीदास सिंह राजावत व भंवर सिंह राजावत के जरिये पैरवीरत रहे है। यह तर्क भी दिया कि प्रकरण में 10.2.2015 पेशी नियत थी जिस दिन आगामी तारीख पेशी 1.4.2015 नियत की गयी है। तदुपरान्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 प्रहलाद, अप्रार्थी संख्या 3–4 मूलचन्द व पुरूषोत्तम एवं इनके अधिवक्तागण

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

ने परस्पर साजकर श्रीमान को सही तथ्य छिपाते हुए धोखा देकर 14.3.2015 को प्रकरण खारिज करवा दिया जिसकी नाराजगी से यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है। यह तर्क भी दिया कि श्री जगदीश प्रसाद शर्मा प्रार्थीगण के अधिवक्ता नही रहे है ना ही प्रार्थीगण ने अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद शर्मा को अपील नही चलाये जाने बाबत कोई हिदायत सहमति स्वीकृति ही दी है। इसलिए श्री जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा श्रीमान को धोखा देकर सभी अपीलान्ट की ओर से उपस्थित होकर दिनांक 14.3.2015 को अपील ड्रोप करवायी गयी है जबकि प्रार्थीगण की ओर से अपील ड्रोप फरमाये जाने बाबत श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता को कोई सहमति/स्वीकृति नही दी गयी है। यह तर्क भी दिया कि प्रकरण को यह तर्क भी दिया कि प्रकरण मे नियत पेशी दिनांक 1.4.2015 रही है और प्रकरण को नियत पेशी से पूर्व दिनांक 14.3.2015 को फैसल फरमाया गया है जिसकी कोई सूचना अदालत द्वारा प्रार्थीगण अथवा अधिवक्ता प्रार्थीगण को नही करवायी गयी है जिससे 14.3.2015 को पेशी पूर्व नियत कर दिये जाने बाबत कोई जानकारी किसी प्रार्थी को नही रही है। प्रकरण में 14.3.2015 के लिए प्रार्थीगण कुन्दनलाल व रामहेत एवं अप्रार्थी 3-4 मूलचन्द व पुरूषोत्तम के नाम नोटिस श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता को तामील करवाया गया है जबकि प्रकरण में प्रार्थीगण ने श्री जगदीश प्रसाद शर्मा को कभी अधिवक्ता नियुक्त नही किया है। दिनांक 14.3.2015 को पत्रावली तलब करवाने बाबत जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उस पर भी अपीलान्ट अथवा रेस्पो. के हस्ताक्षर नही थे एवं प्रकरण में श्रीमान के समक्ष कोई राजीनामा ना तो पेश हुआ है ना ही तस्दीक ही हुआ है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1,3 व 4 एवं इनके अधिवक्तागण ने परस्पर साजकृत होकर अपील खारिज करवायी है। अतः उक्त आदेश अपास्त किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जावे। यह तर्क भी दिया कि अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एवं रेस्पो. प्रहलाद व उसके अधिवक्ता ने यह तथ्य छिपाकर प्रार्थीगण के हक-हकूक को फर्जीवाडा कर न्यायालय को धोखा देकर नुकसान पहुॅचाने की नियत से प्रकरण मे राजीनामा होने बाबत झूंठा कथन कर अपील ड्रोप करवायी गयी है तथा ऐसा ही झूंठा कथन मा. उच्च न्यायालय मे भी करके वहॉ भी प्रकरण को विड्रा कर लिया है। जो आदेश रिकाल किये जाने अथवा अपास्त किये जाने योग्य है । यह तर्क भी दिया कि आदेश दिनांक 14.3.2015 की जानकारी दिनांक 8.6.2015 के होने पर नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 16.6.2015 को नकल प्राप्त होने सम्पूर्ण जानकारी हुई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निबेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि माननीय न्यायालय मे जैरकार अपील संख्या 09/2013 बउनवानी मूलचन्द बनाम प्रहलाद वगै. का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से करने बाबत माननीय न्यायालय द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसकी तामील प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एवं हम अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद शर्मा से करवायी गयी थी। चूंकि उक्त अपील सें संबंधित आराजीयात के संबंध मे पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को विड्रा कर लिया गया था उसी आधार पर माननीय जिला कलेक्टर में जैरकार प्रकरण संख्या 09/2013 को भी जरिये वकील विड्रा करवाया गया है। चूंकि किसी भी प्रकरण को विड्रा करने का अधिकार पक्षकारान के अधिवक्ता को होता है इसलिए हमारे अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा उक्त अपील को नियमानुसार विड्रा किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रृटि नही है।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र झूठा एवं बेबुनियाद होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है क्योकि आराजी ख0न0 1684,1685,1700,1701,1702,1708 कुल किता 6 कुल रकबा 1.86 है0 वाके ग्राम पांचोलास को अप्रार्थी संख्या 5 ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 31.5.2013 को अप्रार्थी संख्या 1 से कय किया था तथा उसी समय अप्रार्थी संख्या 5 ने उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा जब से आज दिन तक अप्रार्थी संख्या 5 ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। यह तर्क भ दिया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3,4 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बहक अप्रार्थी संख्या 5 गुलाब देवी दिनांक 31.5.2013 को निरस्त किये जाने का एक वाद पत्र माननीय जिला न्यायाधीश (जिला जज) सवाईमाधोपुर के न्यायालय में वाद संख्या 58/13 पेश किया था जो बाद सुनवायी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3,4 के उक्त दावे को माननीय जिला न्यायाधीश सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 5.9.2013 को खारिज कर दिया था जिसकी अपील

डॉ0 एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 ने उच्च न्यायालय में जयपुर मे की थी जिसे भी पक्षकारान ने विड्रा कर लिया था तथा उसके बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 ने अपना विकय पत्र निरस्त किये जाने का वाद पत्र खारिज हो जाने पर अप्रार्थी संख्या 5 गुलाब देवी के पास राजीनामा किये जाने का प्रस्ताव रखा जिसे आये दिन की मुकदमा बाजी से परेशान होकर अप्रार्थी संख्या 5 ने स्वीकार कर लिया तथा राजीनामा अनुसार दिनांक 26.8.2014 को प्रार्थी रामहेत ने 100/–रू के स्टॉम्प पेपर पर आपस में राजीनामा होने तथा जमीन गुलाब देवी की रहेगी और आगे कोई मुकदमा बाजी नही करेगे तथा सवाईमाधोपुर न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जयपुर मे चलकर राजीनामा पेश कर मुकदमें वापस लेने बाबत रूबरू गवाहान राजीनामा लिखकर दिया तथा 50,000/–रूपया प्राप्त कर नोटरी पब्लिक श्री रामस्वरूप साहू से उक्त राजीनामा तस्दीक करवाया गया यहॉ यह भी सनद रहे कि श्री रामस्वरूप साहू एडवोकेट नोटरी पब्लिक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1,2,3 के गांव के ही है इस प्रकार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 3,4 ने अप्रार्थी संख्या 5 से रूपये प्राप्त कर मुकदमे नही चलाने का राजीनामा लिखकर अप्रार्थी संख्या 5 गुलाब देवी को दिया। तथा इसी राजीनामा की रोशनी में ही दिनांक 14.3.2015 को माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण ने उक्त मुकदमा को नही चलाना चाहते है कहकर स्वंय खारिज करवाया है जो अब किसी भी प्रकार से रिव्यू योग्य नही है। यह तर्क भी दिया माननीय न्यायालय मे अपील का अंतिम रूप से निस्तारण हो चुका है इसलिए अब माननीय न्यायालय को उक्त प्रकरण को सुनवायी का कोई अधिकार नही है तथा धारा 151 सी.पी.सी के प्रावधान उक्त प्रकरण में लागू नही होते है जहॉ प्रार्थीगण के पास अपील का प्रावधान है वहॉ धारा 151 सी.पी.सी. अप्लाई नही होती है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहॅचूता हूॅ, कि इस न्यायालय की अपील संख्या 09/2013 मूलचन्द बनाम प्रहलाद में अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद शर्मा के जरिये अपीलान्ट श्री मूलचन्द की ओर से प्रकरण को ड्रोप करवाने के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 14.3.2015 को निर्णय पारित किया गया है जबकि प्रकरण में अपीलान्ट मूलचन्द के अतिरिक्त पुरूषोत्तम, कुन्दनलाल व रामहेत उर्फ रमेश भी अपीलान्टगण थे तथा श्री जगदीश प्रसाद शर्मा प्रार्थीगण के अधिवक्ता न होकर उनके अधिवक्ता श्रीदास सिंह राजावत थें। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता श्री राजावत द्वारा प्रकरण को खारिज करवाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया गया है एवं प्रार्थीगण की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा को अपील खारिज करवाने का कोई अधिकार नही है। अपीलान्ट संख्या 1,2 के अधिवक्ता द्वारा मात्र एक ही अपीलान्ट की ओर से जरिये वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को खारिज करवाया गया है जबकि प्रकरण में शेष अपीलान्ट संख्या 3 व 4 की ओर से अपील को खारिज करवाने बाबत अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद शर्मा को कोई निर्देश नही होने के बावजूद भी प्रकरण को खारिज करवाया गया है जो न्याय संगत नही है। क्योकि प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से राजीनामा बाबत रखा गया था जिसमे पक्षकारान की उपस्थिति आवश्यक थी केवल मात्र अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर ही प्रकरण को खारिज करने के कारण अपीलान्ट संख्या 3 व 4 को साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही मिलने के कारण उनका हित प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण में प्रार्थीगण को सुनवायी का अवसर दिया जाना उचित होने के कारण प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूॅ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। एवं प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल प्रकरण अपील नामा. संख्या 9/2013 मूलचन्द बनाम प्रहलाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल प्रकरण के साथ हमफीता की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.6..2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.28 16:41:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: